

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 4 नवम्बर, 1997 (कार्तिक 13, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कर: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

- (1) मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (क्रमांक 4 सन् 1997)
- (2) मध्यप्रदेश वास स्थान वखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अध्यादेश, 1997 (क्रमांक 5 सन् 1997).

3. जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

4. नियम 287-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लल्लू सिंह, बच्चन नायक, रामलखन सिंह (त्वौधर), सदस्य, मंडला एवं शहडोल जिले में कीड़े के प्रकोप से वृक्षों की क्षति होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, नीमच स्थित नयागांव सीमेंट फैक्ट्री के बंद होने से श्रमिकों में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. सभापति तालिका की घोषणा

8. शासकीय विधि विधायक वर्ग

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 35 सन् 1997) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में ओलावृष्टि एवं अति वर्षा से फसलों की क्षति के संबंध में सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, चिरोजीलाल सोनकर, ओंकार सिंह बिसेन तथा श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य चर्चा उठावेंगे.

निर्धारित
समय
1 घंटा
30 मि.

घोषाल :
दिनांक : 3 नवम्बर, 1997

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा